

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
स०८डी०(बजट आबंटन-२२२५)१४-१०/२०१६-

113

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक ।

सेवा में,

उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना ।

पटना, दिनांक 20.03.17

विषय:- वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में माँग संख्या-४४ के मुख्य शीर्ष "२२२५-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-०१-अनु० जातियों का कल्याण-००१-निदेशन और प्रशासन-०००१-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों-०६०१-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, बिपत्र कोड सं० N2225010010001 के अन्तर्गत कुल ₹ ३४,४७१/- (चौतीस हजार चार सौ एकहत्तर ₹०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में गैरयोजना के अन्तर्गत सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के स्थापना पर होने वाले व्यय के लिए विभागीय आवंटनादेश संख्या ०३ दिनांक १८/०४/२०१६, पत्रांक १५ दिनांक ३०/०६/२०१६, २१ दिनांक १८/०७/२०१६, ४२ दिनांक १५/०९/२०१६, ६६ दिनांक १२/१२/२०१६, ७३ दिनांक १६/०१/२०१७, ७६ दिनांक १७/०१/२०१७, १०९ दिनांक ०३/०३/२०१७, तथा १११ दिनांक १७/०३/२०१७ द्वारा आवंटन दिया गया था। श्री हरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना एवं उनकी पत्नी के ईलाज पर व्यय की गई राशि कुल ₹ ३४,४७१/- (चौतीस हजार चार सौ एकहत्तर ₹०) मात्र की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ५८५ दिनांक ०३/०३/२०१७ द्वारा प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में एवं उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना के माँग के आलोक में वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिए ०६०१-चिकित्सा प्रतिपूर्ति इकाई मद में कुल ₹ ३४,४७१/- (चौतीस हजार चार सौ एकहत्तर ₹०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है।

२- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना होंगे, जो पूर्व से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी धोषित है।

३- कुल भारित व्यय राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में माँग संख्या-४४ के आय-व्यय शीर्ष "२२२५-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-०१-अनु० जातियों का कल्याण-००१-निदेशन और प्रशासन-०००१-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों-०६०१-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, बिपत्र कोड सं० N2225010010001 के अन्तर्गत विकल्पनीय है।

४- वित्त विभाग के पत्रांक २५६१ दिनांक १७-४-९८ के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त परिपत्र एवं समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्रों के आलोक में आवंटित राशि का निकासी एवं व्यय करेंगे।

५- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना होंगे। उप निदेशक, कल्याण, पटना, प्रत्येक माह व्यय विवरणी टी०भी० नम्बर/तिथि के साथ अगले माह की १०वीं तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासमान्यता

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक ।

4/4/17

ज्ञापांक- स08डी0(बजट आबंटन-2225)14-10/2016- 113 पटना, दिनांक 20.03.17

प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक
20/3/17

ज्ञापांक- स08डी0(बजट आबंटन-2225)14-10/2016- 113 पटना, दिनांक 20.03.17

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / सचिव क प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / प्रमंडलीय आयुक्त पटना / प्रमंडलीय उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना / बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक
20/3/17

U¹¹¹²